भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-360

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रम

†*360. **श्रीमती शांभवीः**

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुलभता और शिक्षण अवसरों को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित प्रमुख पहलों और नीतियों के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गाँवों में शिक्षा के परिणामों में सुधार पर डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों, ग्रामीण शिक्षा अवसंरचना विकास और सरकारी योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सरकार द्वारा शहरी तथा ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार की ग्रामीण शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने तथा सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षण अवसर सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्यों श्रीमती शांभवी, श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा "ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 360 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार ने शिक्षा परिदृश्य को एक बहु-विषयक, समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार और स्वीकृत की है। यह सभी के लिए शिक्षा में निष्पक्षता, गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देती है। यह भौतिक अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी के संवर्धन, आईसीटी आधारित उपकरणों के एकीकरण और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तकों के रूप में समावेशिता और निष्पक्षता में सुधार पर बल देती है। इन प्रमुख प्रवर्तकों के उद्देश्य से विभिन्न पहलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

एनईपी 2020, नए भवनों के निर्माण, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, सुविधाओं के उन्नयन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निर्बाध पहुँच और बेहतर स्वच्छता एवं सफ़ाई के प्रावधान के माध्यम से, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, भौतिक अवसंरचना को मज़बूत करने को प्राथमिकता देती है। समग्र शिक्षा, पीएम-श्री, पीएम-उषा, प्रतिष्ठित संस्थान नए केन्द्रीय उच्चतर संस्थानों की स्थापना और मेरिट योजना जैसी पहलें सुरक्षित और समावेशी अवसंरचना और अधिगम वातावरण के निर्माण में योगदान दे रही हैं, जिससे पहुँच, नामांकन, प्रतिधारण और समग्र शैक्षिक परिणामों में सुधार हो रहा है। इन पहलों का विवरण इस प्रकार है:

- **समग्र शिक्षा :**समग्र शिक्षा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल खोलने/उनका सुदृढ़ीकरण, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना के विकास/उसका सुदृढ़ीकरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पीएम-जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, असंतृप्त अ.ज.जा आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छात्रावासों का निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष) 2024-25) में इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से के रूप में 34,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।

- **पीएम-श्री:** उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल (पीएम-श्री) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ और स्तरोन्नत किया जाता है। पारदर्शी चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय (केवीएस) और नवोदय विद्यालय (एनवीएस) के साथ-साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 13,076 पीएम-श्री स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 9,373 पीएम-श्री स्कूल देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में, इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अंश के रूप में 3500 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए थे।

- **पीएम-उषा:** प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के प्रति उनकी अनुरूपता सुनिश्चित कर उनकी बुनियादी संरचना और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। पीएम-उषा के तहत, सकल नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्रों, लैंगिक समानता और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों जैसे वंचित श्रेणियों के अनुपात के आधार पर जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार ने शैक्षणिक रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए अपना तीसरा चरण शुरू किया है। योजना की शुरुआत से अब तक इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 7,799.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

- **उत्कृष्ट संस्थान (आईओई):** शिक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी प्रत्येक श्रेणी से 10 उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा देने और उन्हें विश्व स्तरीय अधिगम और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए विश्व स्तरीय संस्थान योजना शुरू की। अब तक बारह संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें 08 सार्वजनिक श्रेणी के संस्थान शामिल हैं, अर्थात् - आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, बीएचयू वाराणसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और 04 निजी श्रेणी के संस्थान हैं अर्थात् यूनिवर्सिटी- बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। इस योजना के तहत केवल सार्वजनिक संस्थानों को ही निधियां मुहैया कराई जाती है। योजना की शुरुआत से 08 सार्वजनिक संस्थानों के लिए 6198.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मंजूर की गई है।

- **केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) का विस्तार:** भारत सरकार ने देश में शिक्षा की पहुंच गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। 2014 से, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और मानविकी के क्षेत्र में नए केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) की स्थापना करके उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन किया गया है। सीएचईआई की परिकल्पना क्षेत्र के अन्य संस्थानों को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए गति निर्धारक संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। 2014 से, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थापित किए गए हैं।

- **मेरिटे:** 'तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार' (मेरिटे) योजना को 275 तकनीकी संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप मध्यवर्तनों को लागू करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, निष्पक्षता और शासन में सुधार लाना है। यह एक 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' है जिसका कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपए है।

एनईपी 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल अवसंरचना कनेक्टिविटी और आईसीटी-आधारित उपकरणों के एकीकरण पर भी ज़ोर देती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ग्रामीण विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) पहल शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करती है। केंद्रीय बजट 2025 में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रावधान शामिल है। पीएम ई-विद्या, स्वयम , स्वयम प्रभा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस), भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), और राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय जैसी पहलें छात्रों और शिक्षकों के लिए बहुभाषी ई-सामग्री प्रदान करती हैं, जिससे मिश्रित और दूरस्थ अधिगम को बढ़ावा मिलता है।

- **एनकेएन कनेक्टिविटी:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन), एक सुरक्षित और उच्च गति वाला डिजिटल ढांचा है जो पूरे भारत में अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संगठनों को डेटा और संसाधन साझा करने का अधिकार देता है। इस परियोजना को 7188 करोड़ रुपये

के वित्तीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) योजना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के कनेक्टिविटी घटक के तहत, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पूरे भारत के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 1 जीबीपीएस बैंडविड्थ एनकेएन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निधियां जारी की जाती हैं। अब तक एनएमईआईसीटी के अंतर्गत निधियों सहित इस परियोजना के तहत 1800 से अधिक संस्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है।

- **समग्र शिक्षा:** इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के अंतर्गत अनावर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। प्रबंध पोर्टल के अनुसार, समग्र शिक्षा के इस घटक के अंतर्गत अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,76,669 आईसीटी लैब और 1,75,936 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए जा चुके हैं।

- **पीएम ई-विद्या:** भारत सरकार ने देश भर में स्कूली शिक्षा तक बहु-विध पहुँच को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने हेतु एक व्यापक पहल के रूप में पीएम ई-विद्या की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे जिसमें कक्षा 1-12 क के लिए पूरक शिक्षा शामिल है।

- **दीक्षा:** ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्र का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्ता निकायों ने स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.69 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और उसमें योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ अधिगम सत्र पूरे किए जा चुके हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 300 से अधिक वर्चुअल लैब तक पहुंच है। दीक्षा भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) वीडियो, ऑडियो सामग्री जैसी सहायक सुविधाओं से सुसज्जित है जो विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करती है और देश भर में छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को सहायता करती है।

- **स्वयम:** शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से युवा आकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन जाल (स्वयम) प्लेटफ़ॉर्म शुरु किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म

प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार की गई सामग्री को होस्ट करता है और "कोई भी, कहीं भी, कभी भी" अधिगम के दृष्टिकोण के साथ निःशुल्क उपलब्ध है। अब तक, 16,000 से अधिक पाठ्यक्रम वितरित किए जा चुके हैं। स्वयम पाठ्यक्रमों में अपनी शुरुआत से अब तक 5.50 करोड़ से अधिक संचयी नामांकन हुए हैं।

- **स्वयम प्रभा:** स्वयम प्रभा भारत सरकार की एक पहल है जो 48 डीटीएच टेलीविजन चैनलों के नेटवर्क के माध्यम से उच्च-गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश भर के छात्रों, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करना है। आज तक, कुल 92,000 घंटे से अधिक समय के शैक्षिक वीडियो व्याख्यान वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

- **एनडीएलआई:** भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई) की शुरुआत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटी-केजीपी) के सहयोग से की गई। एनडीएलआई देश भर के सभी शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तकों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं, संग्रहित समाचार पत्रों और मल्टीमीडिया सामग्री आदि सहित शैक्षिक संसाधनों के विशाल ऑनलाइन भंडार तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के 90 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

- **राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय:** राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराता है, जिससे विविध भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, विधाओं और शैक्षिक स्तरों पर उनकी पहुँच सुनिश्चित होती है। यह प्लेटफ़ॉर्म 23 भाषाओं में सामग्री प्रदान करता है और 50 से अधिक प्रकाशकों द्वारा समर्थित है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर 2300 से अधिक पुस्तकें और 2.5 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 13 लाख से अधिक पठन सत्रों में भाग लिया है।

- **एआई में उत्कृष्टता केंद्र (एआई-सीओई)।** बजट 2025-26 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एआई-सीओई की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, एनईपी 2020 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक न्यायसंगत पहुँच को बढ़ावा देती है, जिसमें लड़कियाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और ग्रामीण, आदिवासी व हाशिए के समुदायों के शिक्षार्थी शामिल हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के उपायों में पोषण, छात्रवृत्ति और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना शामिल है। *पीएम-पोषण, पीएम-विद्यालक्ष्मी, पीएम-यूएसपी और राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)* जैसी पहल छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करती हैं। उन्नत भारत अभियान (यूबीए) सामाजिक समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को ग्रामीण समुदायों से जोड़ता है। विवरण इस प्रकार हैं:

पीएम - पोषण: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य बाल वाटिका और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पोषण प्रदान करना और शिक्षा प्रणाली में उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करना है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के 11 करोड़ से अधिक बच्चों को लाभान्वित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना के लिए बजट आवंटन 12,500 करोड़ रुपये है और साझाकरण पैटर्न के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 7,500 करोड़ रुपये है।

एनएमएमएसएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति देने के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, कक्षा 9 के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में अध्ययन हेतु कक्षा 10 से 12 तक उनकी पढ़ाई जारी रखी/नवीनीकृत की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में 2.70 लाख से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई थी।

पीएम विद्यालक्ष्मी: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 6 नवंबर 2024 को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों सहित सभी छात्रों को, जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाते हैं, बिना किसी गारंटी और ज़मानत के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान करती है।

पीएम यूएसपी-सीएसआईएस: शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्र प्रत्यायन ब्याज सब्सिडी योजना (पीएम यूएसपी-सीएसआईएस) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी छात्रों को, जो एनएएसी से प्रत्यायन प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों /एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रख रहे हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, ऋण स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज आर्थिक सहायता की जाती है। इस योजना के लिए छात्र लाभार्थियों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी निधि योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल) के अंतर्गत, ₹7.5 लाख तक के स्वीकृत शिक्षा ऋणों पर ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी कवर बकाया चूक के 75% तक है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत, अवधि स्थगन शिक्षा ऋण की पुनर्भुगतान अवधि के बाद 15 वर्ष (पाठ्यक्रम वर्ष और एक वर्ष)तक है।

यूबीए: शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2014 में उन्नत भारत अभियान (यूबीए) शुरू किया। यह देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को गांवों और स्थानीय समुदायों से जोड़ता है ताकि ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान की जा सके और उन्हें तकनीक-आधारित समाधान प्रदान किए जा सकें। आज की तिथि के अनुसार, 4335 उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें सहभागी संस्थान (पीआई) कहा जाता है और जो 20534 गांवों शामिल कवर करते हैं। अब तक, संधारणीय कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण ऊर्जा प्रणाली आदि जैसे विभिन्न विषयों को सम्मिलित करते हुए 543 तकनीक-आधारित समाधान लागू किए जा चुके हैं।

- **भारतीय भाषा पुस्तक योजना:** 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्कूलों और उच्चतर शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे विषयों की पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 की अवधि में बिजली की उपलब्धता 83.4% से तीव्र गति से बढ़कर 91.8% हो गई है। स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा 76.4% से बढ़कर 89% हो गई; कंप्यूटर तक पहुंच 38.5% से बढ़कर 57.2% स्कूलों में हो गई; और इसी अवधि के दौरान इंटरनेट की सुविधा 22.3% से बढ़कर 53.9% हो गई। यूडीआईएसई+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, 4,76,669 स्कूलों में कार्यात्मक डेस्कटॉप/पीसी हैं; 2,56,392 स्कूलों में कार्यात्मक लैपटॉप/नोटबुक हैं; 2,75,857 स्कूलों में कार्यात्मक टैबलेट हैं और 3,59,457 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड/स्मार्ट बोर्ड/वर्चुअल क्लासरूम/स्मार्ट टीवी के साथ पढ़ाने के लिए कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम हैं; और पूरे भारत में 7,92,992 स्कूलों में इंटरनेट सुविधाएं हैं।

इसी प्रकार, भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुँच, समावेशिता और समानता में निष्पक्षता देखा गया है। एआईएसएचई की रिपोर्ट के अनुसार, नामांकन में 26.5% की वृद्धि हुई है, अर्थात वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 23.7% (2014-15) से बढ़कर 28.4% (2021-22) हो गया है,

जिसमें महिला जीईआर 28.5 है। राष्ट्रीय स्तर पर, लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) 2021-22 में 1.01 पर पहुँच गया, जो दर्शाता है कि महिला जीईआर ने पुरुष जीईआर को पीछे छोड़ दिया है। यह व्यापक-आधारित लैंगिक-समावेशी नीतियों की सफलता को दर्शाता है।